न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 16 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00016)
पंजीयन दिनांक– 06.02.2020
निर्णय दिनांक– 30.09.2020

1. श्री हुरजी पिता मावजी मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती कचरी पत्नि हुरजी मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री पुंज्या पिता वीरजी मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती नारूडी बेवा वीरजी मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री राजु पिता गोपिया मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्रीमती गोतीबाई पत्नि गोपिया मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्री श्यामलाल पिता गौतम मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्री मोहन पिता गौतम मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
7. गंगा पुत्री गौतम मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
8. गुड्डी पुत्री गौतम मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
9. संगीता पुत्री गौतम मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

10. वज्जी पुत्री गौतम मीणा, निवासी दौतड, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
11. भूमिधारी तहसीलदार, पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री भारत सनाढ्य : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सुनिल त्रिपाठी : अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 04/2014 निर्णय दिनांक 27.05.2015

निर्णय

दिनांक–30.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 04/2014 निर्णय दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध दिनांक 11.07.2018 को मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़, कैम्प प्रतापगढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 06.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दौतड में स्थित अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 279 रकबा 0.95 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 275 रकबा 0.23 हैक्टेयर बिलानाम बंजर भूमियों पर विगत लगभग 100 वर्षो से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण एवं उसके परिवारजन का लगातार कब्जा काश्त चली आ रही है, किन्तु वर्ष 2006 के दौरान प्रकरण के अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिली भगत करते हुए

बिना किसी कब्जा–काश्त के उक्त बिलानाम बंजड भूमियों का आवंटन अपने पक्ष में करा लिया, तथा विगत समय में अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के साथ मारपीट की गई, जिसके चलते रेस्पोडंट्स/प्रार्थीगण द्वारा की गई जानकारी अनुसार उक्त अवैधानिक आवंटन की जानकारी प्राप्त होने से नकले प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये प्ररकण संख्या 04/2014 निर्णय दिनांक 27.05.2015 से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश मिसल नम्बर 614/06 दिनांक 16.02.2006 से आवंटित आरजी संख्या 279 में से आवटित रकबा 0.55 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 275 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि को राजसात किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) दिनांक 15.09.2014, जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 17.12.2014, नकल आदेशिका प्रकरण संख्या 31/14 धारा 188, 14/14 धारा 212 मय वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र, नकल जमाबंदी संवत 2067–2070, तथा 2063–2067, राजस्व नक्शा ट्रेस, लिखित बहस दिनांक 11.05.2015, आपसी सहमति पत्र दिनांक 28.08.2014, प्राथमिकी रिपोर्ट 179/13 दिनांक 13.11.2013, आवंटन मिसल नम्बर 614/2006 तथा आवंटन आदेश दिनांक 16.06.2006 के साथ–साथ अन्य विविध दस्तावेजों का भी गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।*

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रश्नगत प्रकरण में विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जा–काश्त किसकी है के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उभयपक्ष द्वारा रेकार्ड पर नहीं रखे गये है, जिससे वस्तुस्थिति का संज्ञान हो सके लेकिन प्रकरण के पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक नकल दस्तावेज वाद 188/प्रार्थना पत्र 212 की प्रतियों नकल आदेशिकाओं एवं उभय पक्ष के मध्य हुए भूमि विवाद के संबंध में दर्ज FIR *तथा राजस्व रेकार्ड से दर्शित होता है कि आवंटन मिसल संख्या 614 दिनांक 16.02.2006 से आंवटित भूमि आराजी संख्या 279 एवं 275 पर कब्जे–काश्त संबंधी विवाद होना दर्शित रेकार्ड आया*

है, ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि के आवंटन नियमों के तहत "अनाधिकृत कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन शर्त संबंधी उपहास होना प्रतीत होता है जिसकी पालना वक्त आवंटन सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा मौके पर नहीं किये जाने से यह स्थितियां कारित हुई है। तथा उसी के अनुक्रम में आवंटी पक्षकारान को गैर–खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना भी संशयप्रद रहा है क्योंकि प्रश्नगत भूमियों पर आवंटन नियमों के तहत नियमानुसार कब्जे–काश्त शर्तो की परिपालना की जा रही हों और जिनके चलते गैर–खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किय जाना न्याय संगत रहा है। यहॉ यह भी विचारणीय बिन्दु रहा है कि उक्त भूमि पर कब्जे–काश्त के संबंध में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य दिनांक 28.08.2014 को निष्पादित "आपसी सहमती पत्र" इस तथ्य को उजागर करता है कि आवंटी को किया गया आवंटन कही न कही त्रृटिपूर्ण रहा है। किन्तु इसका परिलाभ केवल किसी एक पक्ष में निहित किया जाना अन्याय पूर्ण प्रतीत होता है एवं राजकीय पक्ष तथा Law & Order *की व्यवस्थाओं के सदैव बाधित होने की संभावना अभिवक्त होती है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण आधारों एवं सुविधा का संतुलन बनाये रखने के लिए विवादित भूमियों का आवंटन निरस्त किया जाकर राजसात किया जाना उचित प्रतित होता है।*

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी में स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश मिसल नम्बर 614/06 दिनांक 16.02.2006 से आवंटित भूमियों आराजी संख्या 279 में से आवंटित रकबा 0.55 हैक्टेयर तथा 275 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि को राजसात की जाती है, इस आशय की तहरीर नकल निर्णय के साथ तहसीलदार पीपलखूंट को जारी हो।"

उक्त आदेश/निर्णय के क्रम में अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भारत सनाढ्य उपस्थित व रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से श्री सुनिल त्रिपाठी उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 5, 6, 7, 8, 9, व 11 बावजूद सुचना के अनुपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.09.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण संख्या 10 की अविवाहित मृत्यु होने व वारिस पूर्व से रेकार्ड पर होने के कारण नाम हटाने का आवेदन पेश किया जिसे स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस दिनांक 29.09.2020 पेश कर बताया कि अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण (आवंटी) को विवादित भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णतः विधिक पालना करते हुए कोरम के साथ आदेश देकर आवंटन किया गया है। उक्त कृषि भूमि का अमल दरामद भी अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज कर मौके पर भौतिक कब्जा भी सिपूर्द किया गया है, तब से अनवरत आदिनांक तक एवं उनके वर्ष 2017 में बैचान किये जाने पर खरीददार सीता पत्नि कांतिलाल के ही कब्जे–काश्त मे चली आ रही है। मौके पर उक्त भूमि पर एक मकान भी बना रखा है जिसमें वह वर्तमान में अपने परिवार सहित निवास कर रही है। आवंटन शर्तो की पालाना किये जाने के कारण उक्त भूमि अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के नाम गैर–खातेदारी से खातेदारी में भी दर्ज किया गया। अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण ने आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) में वर्णित तीनों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन कभी नहीं किया है ओर अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है। केवल मात्र कब्जे को विवादित मानते हुए आवंटन को खारिज किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय न्याय सम्मत नही था। क्योकि कब्जे के संबंध में संशय होने पर मौके की वर्तमान कब्जे की रिपोर्ट मंगाकर कब्जे की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सक्षम थे। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को उक्त आवंटन की जानकारी आवंटन दिनांक से ही थी एवं दिनांक 11.03.2014 से पहले ही, जब अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की ओर से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 188, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट उपखण्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसका सम्मन दिनांक 11.03.2014 को तामिल होकर न्यायालय में लौटा आया था, तब से रेकार्ड उक्त आवंटन की जानकारी है जिसे रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 अस्वीकार नहीं कर सकते है। उक्त सम्मन की प्रमाणित प्रति भी अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिस गौर नही किया एवं ऑन रेकार्ड जानकारी दिनांक 11.03.2014 से भी इतने विलम्ब के पश्चात रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के

प्रार्थना पत्र को देरी का कोई स्पष्टीकरण दिये बिना ही स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नियम व कानुनों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 जो अपनी खातेदारी भूमि के पास विवादित भूमि का स्थित होना बताकर उस पर सो वर्षो से अपना कब्जा बता रहे है, जो की सर्वथा मिथ्या कथन है। अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये फोटोग्राफ से स्पष्टतः साफ है कि विवादित भूमि सडक से एक तरफ है ओर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि पक्की सडक के दुसरी तरफ है। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का यह कथन कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है, स्पष्टतः मिथ्या एवं गलत साबित होता है। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य या गवाह विवादित भूमि पर इनके कब्जे बाबत अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे भी रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के कथन से ही वे स्वयं को अतिक्रमी को सिद्ध कर रहा है जबकि अतिक्रमी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का एवं अपने अतिक्रमण के आधार पर आवंटन को खारिज करने का कोई अधिकार नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD-14.03.2009 Page 177, RRT 2016-17 (Supp) Page 271, RRT 2018(1) Page 299, RRD Jan. 2006 Page 9, RRD Mar. Page 135, RRT 2012(1) Page 653, Civ Times(Raj) 2002 (2) Page 726-731, RRT 2016 (2) Page 1378-1381 & RRT 2016 (2) Page 756-1759 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स/अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की ओर से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण द्वारा पेश खण्डन लिखित बहस का जवाब खण्डन लिखित बहस प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण द्वारा अपनी लिखित बहस दिनांक 23.09.2020 को प्रस्तुत कर बताया कि अपील अपीलांटगण बनावटी, मनगढंत, भू–आवंटन को छिपाकर, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत होने एवं बेबुनियाद आधारों पर प्रस्तुत होने से सारहीन व निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण पूंज्या व उसके परिवार के खाते व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा संख्या 281 रकबा 0.38 व खसरा संख्या

282 रकबा 0.65 हैक्टेयर स्थित है इससे लगी हुई दक्षिण दिशा की तरफ खसरा संख्या 279 रकबा 0.55 हैक्टेयर खसरा संख्या 275 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि पीडियों से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण व उसके परिवार के कब्जे काश्त में निरंतर चली आ रही है तथा उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, अपीलांट्स/अप्रार्थीगण हुरजी व अन्य किसी का भी इस भूमि से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। अपीलांट्स/अप्रार्थीगण व उसके पुत्रों ने मिलकर उक्त विवादित आवंटित भूमि को लेकर गंभीर रूप से रेस्पोडेंट/प्रार्थी संख्या 1 के साथ मारपीट करने से रेस्पोडेंट पूंज्या लम्बे समय तक इलाजरत रहा। ठीक होने के बाद प्रयास करके जानकारी हासिल की तो पता लगा कि अपीलांटगण/अप्रार्थीगण 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को गुमराह कर आवंटन करा लिया है। उक्त आवंटन की जानकारी रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण को नही लगे इस लिए कोई जिक्र नहीं किया और फिर अचानक इस भूमि पर असद्भावना पूर्वक कब्जा करने की बदनियति में विवाद किया। विवादित भूमि अपीलांट के नाम से बिना मौके की स्थिति जाने आवंटित कर दी गई, जो आवंटन निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने दुर्भावना से आवंटन हेतु गलत आवेदन पेश किया व गलत रिपोर्ट कराई जिससे आवंटन ही अपने आप में गलत हो गया है। जो शून्य होने से खारिज योग्य है। तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई एवं भू–आवंटन कमेटी द्वारा इस महत्वपूर्ण विधि के प्रश्न पर गौर नहीं किया जो विधि के सुस्थापित नियमों के तहत भारी त्रुटि की गई, उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ का आवंटन आदेश दिनांक 16.02.2006 कानूनन त्रुटिपूर्ण है, इसलिए अपील खारिज योग्य है। उक्त आवंटन के आस पास अपीलांट्स की कोई निजी भूमि भी नहीं है। और रेस्पोडेंट्स की खाते व कब्जे की अन्य भूमि में ही यह भूमि भी शामिल होने से यह निरंतर रेस्पोडेंट के पक्ष के कब्जे में चली आ रही है। अपीलाधीन भूमि की आवंटन के समय की मौके की स्थिति को जानने का प्रयास नहीं किया गया। अगर मौके की स्थिति की रिपोर्ट तत्कालीन पटवारी द्वारा ली होती तो रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण 1 से 4 का कब्जा साबित होता और भूमि अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को आवंटित नहीं हो सकती थी। राजस्थान भू–राजस्व कृषि आवंटन नियम 1970 की धारा 13 की पालना नहीं किये जाने से भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। भू–आवंटन सलाहकार समिति के विधान सभा सदस्य, अनुसूचित जाति सदस्य व अनुसूचित जनजाति

सदस्यों की उपस्थिति व हस्ताक्षर नहीं है, इन्हे 15 दिन पूर्व सूचना भी नही दी गई और इनकी अनुपस्थिति के कारण भी नही लिखा गया है। आपसी समझोता दिनांक 28.08.2014 से स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विवादित आवंटित भूमि पर शुरू से ही कब्जा रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण एवं उसके परिवार का रहा है तथा अपीलकर्तागण का उक्त भूमि से कोई संबंध नही रहा है। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD Jan. 2002 & RRT 2008 (2) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स/अप्रार्थीगण निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण की ओर से अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा पेश लिखित बहस का खण्डन प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2015 को सुनी गयी एवं उस पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर भी उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2015 को ही बहस सुनकर प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट का आवंटन निरस्तीकरण किया जाकर भूमि राजसात किये जाने का आदेश पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत करने की अवधि 27.05.2015 के निर्णय दिनांक से 26.07.2015 होती है। प्रकरण में अपीलाण्ट विपक्षी द्वारा यह अपील 16.07.2018 को पेश की गयी है, जो करीब 3 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा इन 3 वर्षों के विलम्ब को समन् किये जाने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का जो आवेदन पेश किया है, उसके लिए यह वर्णित किया है कि इस निर्णय की उसे जानकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा इस निर्णय की उसे जानकारी नहीं दी तथा उसने दिनांक 10.01.2017 को यह भूमि सीता पत्नी कांतिलाल मीणा को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से बेची एवं बेचने के बाद दिनांक 08.03.2017 को नामान्तकरण के जरिये यह भूमियां सीता के नाम दर्ज भी हो गई। यह

विलम्ब सिर्फ अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को विवादित आदेश/निर्णय की सूचना नहीं दिये जाने के कारण हुआ। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 16.09.2017 को एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने के कारण सर्वप्रथम 17.06.2018 को प्रार्थी को गिरफ्तार किया गया, उस समय प्रथम बार दिनांक 27.05.2015 के निर्णय की जानकारी हुई एवं उक्त जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाण्ट ने सीता क्रेता के नाम का नामान्तकरण एवं जमाबंदी की प्रतियां भी पेश की है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अपने जबाब/लिखित बहस में यह निवेदन किया है कि विवादित भूमि पर रेस्पोंडेण्ट का कब्जा पीढ़ियों से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 27.05.2015 को होकर भू–आवंटन निरस्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में यह बेचान स्वतः महत्वहीन हो जाता है कि जब कब्जा अपीलाण्ट का कभी रहा ही नहीं तो अवैध बेचान से कब्जा हस्तान्तरित नहीं हो सकता। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर आता था तथा निर्णय के बाद अपीलाण्ट द्वारा निर्णय की प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना–पत्र भी पेश किया है। अपीलाण्ट द्वारा इन तथ्यों को छिपाकर भूमि विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी और जब उसके बाद उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ तो उससे बचने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा दिनांक 18.01.2017 को अपीलाण्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 465 इत्यादि भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा मियाद के बिन्दु पर सिविल टाइम्स राजस्थान 2002(2) पेज 727 तथा 2016(2) आर.आर.टी. पेज 1378 पेश की है।

मियाद पर उभय पक्षों की लिखित व मौखिक दलीलों को सुनने/पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा यह अपील 3 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त विलम्ब का प्रमुख कारण उसे अधिवक्ता द्वारा निर्णय की जानकारी नहीं दिया जाना बताया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि निर्णय अधिवक्ता की उपस्थिति में हुआ है तथा निर्णय के 3 वर्ष 2 माह तक भी अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करता

एवं विलम्ब का सारा ठिकरा अपने अधिवक्ता के सिर पर फोड़ देता है तो इसे कदापि जागरूक पक्षकार नहीं कहा जा सकता। किसी भी पक्षकार को जब न्यायालय में उसका सम्पत्ति विवाद विचाराधीन हो तो अपने हक अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होती है। इस प्रकरण में पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की उभय पक्षों की स्वीकारोक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णित राजीनामा जिससे हालांकि कब्जे का विनिश्चियन नहीं होता लेकिन फिर भी उक्त राजीनामे में उभय पक्षों में न्यायालय निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सहमति दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने जब दिनांक 27.05.2015 को रेस्पोंडेण्ट आवंटी का आवंटन निरस्त कर दिया तो उसके बाद अपीलाण्ट द्वारा अपने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भूमि का विक्रय किया जाना सदाशयता कृत्य नहीं हो सकता। अपीलाण्ट को उक्त भूमि विक्रय करते समय निर्णय की जानकारी हो सकता है न हो, परन्तु विवादित आवंटित भूमि जिसका प्रकरण न्यायालय में आवंटन निरस्तीकरण हेतु विचाराधीन है, के निर्णय की जानकारी किये बिना ही भूमि को विक्रय किया जाना कदापि सदाशयतापूर्ण नहीं है अपितु साशय भूमि का हस्तान्तरण कर विवादों का बढ़ावा करना प्रतीत होता है। आश्चर्यजनक रूप से जब जनवरी, 2017 में अपीलाण्ट के विरूद्ध इस प्रकार का अवैद्यानिक विक्रय करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, उस समय भी अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी न हो एवं गिरफ्तार होने पर ही जानकारी हो, यह तथ्य/तर्क सुपाच्य नहीं है तथा अपीलाण्ट का यह कहना कि उसे दिनांक 17.06.2018 को ही गिरफ्तार किया, उस समय उसे निर्णय की जानकारी हुई, माना नहीं जा सकता। किसी भी प्रकरण में 3 वर्ष के विलम्ब को सिर्फ अधिवक्ता पर दायित्व मढ़कर विलम्ब को कण्डोन नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीरें जो विलम्ब से संबंधित है, उनमें सिविल टाईम्स 2002(2) पेज 727 के तथ्य इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा वह प्रकरण सिर्फ रेस्टोरेशन से संबंधित था। अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1378 में सिर्फ 30 दिनों के विलम्ब बाबत् विचारण किया गया है, अतएवं यह नजीर भी इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है।

न्यायालय हाजा इस मत के हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2015 की अपील के लिए निर्धारित 26.07.2015 की अवधि

से 3 वर्ष के बाद पेश की गई यह अपील उपरोक्त विवेचनानुसार निसन्देह बैरून मियाद है। अतएवं अपील बैरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर